कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बालोद छ0ग0

/ /आदेश/ /

क्रमांक/ 2746/एस.डब्लू./2020 बालोद, दिनांक 04.05.2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 15.04.2020 आदेश कमांक 40–3/2020 DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 एवं दिशा–निर्देशों के परिपालन में लॉकडाउन की अवधि 17.05.2020 तक बढाई गयी है। बालोद जिला ग्रीन जोन में स्थित होने के कारण दुकान एवं गतिविधियों के संचालन के संबंध में निम्न आदेश जारी किया जाता है–

1. जिले के भीतर गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक किया जा सकेंगा। मदिरा दुकानें प्रातः 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक चालू रहेंगी। समय का प्रतिबंध ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगा, जो पूर्व में अपवादित श्रेणी में आती है, जैसे समस्त मेडिकल संस्थापनाएं, पेट्रोल पंप, अन्य आकस्मिक सेवाएं। आवश्यकता पडने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के आदेशानुसार कार्यालय 24 X 7 खोली जा सकती है।

प्रतिबंधित दुकाने– समस्त हास्पिटैलिटी से संबंधित सेवाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट चाय, चाट, चौपाटी, गन्नारस, जूस, आईसकीम, पार्लर, इत्यादि से संबंधित दुकानें, स्पा–सेलून, नाई की दुकानें, सार्वजानिक परिवहन जैसें बस, ट्रैक्सी, ऑटो रिक्शा, सायकल रिक्शा, कैब सेवाएं, इत्यादि सभी सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, खेलकूद, काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, उद्यान एवं पार्क, नाट्यशाला, सभी प्रकार के बार, असेम्बली हॉल, सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/धार्मिक शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य सामूहिक आयोजन, समस्त धार्मिक एवं उपासना के केन्द्र में आम लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, केवल धार्मिक संस्थानों के संचालन हेतु नियुक्त पुजारी एवं धर्मगुरू धार्मिक संस्थाओं में आ–जा सकेंगे।

प्रतिबंधित श्रेणी के अलावा अन्य समस्त दुकानें खुली रहेंगी जो शॉपिंग काम्पलेक्स एवं मॉल के अंतर्गत नहीं आती है।

2. विवाह एवं अंत्योष्ठि के कार्यकम से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आयोजित की जा सकती है, जिसमें सभी पक्षों को मिलाकर शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

3. समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय करते समय मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी दुकान को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर सकते है।

Scanned by CamScanner

4. जिले के भीतर और अंतर जिला यात्री बसों का परिवहन प्रतिबंधित रहेंगा। निजी कार एवं दुपहिया वाहनों में दो व्यक्तियों से अधिक यात्रा नहीं कर सकेंगे। जिले से बाहर यदि प्रवास होगा तो, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही गंतव्य स्थान की ओर रवाना होंगे।

5. यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से प्रवास पर आया है, चाहे वह स्थान रेड जोन में चिन्हांकित हो अथवा ग्रीन जोन में, ऐसे समस्त व्यक्तियों को प्रशासन को सूचित करना होगा। नगरीय निकाय के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय अधिकृत है। ग्राम पंचायत के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत एवं उसका सचिव अधिकृत है। ऐसे व्यक्ति जो प्रवास कर आया है, होम आईसोलेशन के आदेशों का उल्लंघन करता है अथवा प्रवास करने के संबंध में सूचना छिपाता है, तो उसके विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा। प्रवास कर आये व्यक्ति 28 दिन तक कठोर होम आईसोलेशन करेंगे अर्थात यदि शासकीय सेवक है तो 28 दिन तक कार्यालय नहीं जायेंगे। व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, तो 28 दिन तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों के घर बाहरी लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी । ऐसे परिवारों में यदि घर के कार्यो में सहयोग करने हेतु कर्मचारी रखे गये है तो उनका प्रवेश भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. शाम 4.00 बजे के पश्चात आम व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

7. उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों को लेकर राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेगा।

8. जिलें में यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई मरीज मिलता हैं तो जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा, उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जायेगी।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृष्ठ क्रमांक/2746/एस.डब्लू./2020 बालोद, दिनांक 04.05.2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
14. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्–बालोद/दल्लीराजहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत गुरूर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
20. कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned by CamScanner